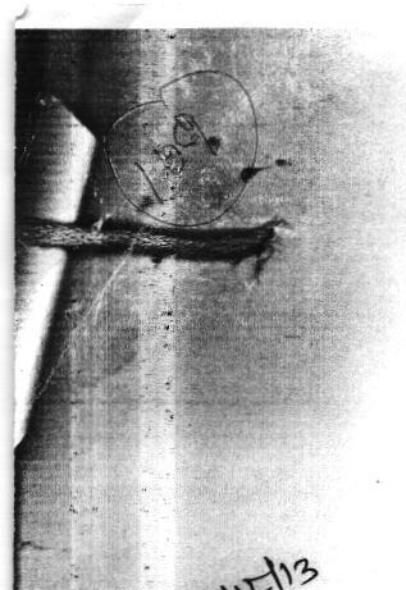

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

राजस्व निगरानी प्र० क्र० सन् २०१३

हजारी तनय स्यासी काछी निवासी ग्राम इमलिया तहसील नौगांव जिला छतरपुर म०प्र० ------------ आवेदक

बनाम

म०प्र० शासन ----- ---- अनावेदक

R-4314-LT/13

आवेदन दिनांक 27/11/13 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के प्र० क्र० २७/स्व०प्र० निगरानी/९८-९९ में पारित आदेश दिनांक २४-५-१९९९ ।

अपील अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र०भू०रा०सं०

श्रीमान्,

आवेदक सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करता है :-

१- यह कि भूमि खसरा नं० १७०१ में से २-००० हेक्टेयर भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त हुयी थी जो न्यायालय तहसीलदार नौगांव के प्रकरण क्रमांक ६६अ-१९(४)।८९-९० में दिनांक ३१-१०-९० को पट्टा जारी किया गया था । आवेदक को उपरोक्त पट्टा २-१०-८४ के अनुसार प्राप्त हुआ था जिसमें स्पष्ट लेख है कि आवेदक उक्त भूमि का कब्जेदार है तथा उसी गांव का स्थायी निवासी है तथा आवेदक के पास २-००० हेक्टेयर से कम भूमि है । आवेदक २-१०-८४ के नियम के अन्तर्गत था जो पट्टा के समय प्रस्तुत की गयी, पटवारी रिपोर्ट से भी सिद्ध होता है ।

२- यह कि पट्टा प्राप्त होनेके बाद आवेदक ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया और उस पर खेती करता रहा । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वप्रेरणा में लेकर लगभग १० वर्ष बाद आवेदक का पट्टा दिनांक २४-५-९९ को बिना आवेदक को सूचना दिये निरस्त कर दिया ।

३- यह कि आवेदक के ग्राम इमलिया का बन्दोबस्त हुआ है जिसमें बन्दोबस्त के दौरान खसरा नं० १७०१ का नया नम्बर [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4314—तीन / 2013 जिला—छतरपुर

हजारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27 / स्व.निग. / 1998—99 में पारित आदेश दिनांक 24—05—1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10—10—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	